न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 18 / 2016

1—राजेन्द्र उर्फ रज्जो पुत्र स्व. बाबूलाल
2—संतोष पुत्र स्व. बाबूलाल
3—नरेश पुत्र स्व. बाबूलाल
4—पवन स्व. बाबूलाल
5—विशम्बर पुत्र किरोड़ी
6— रमेश पुत्र किरोड़ी
7—सुरेश पुत्र कन्हैया
8—महेश पुत्र कन्हैया
9—दिनेश पुत्र कन्हैया
10—मुकेश पुत्र कन्हैया
11—मु. अंगूरी पत्नी कन्हैया

जाति वैश्य निवासी सिन्धी कॉलोनी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

1—बृजेन्द्र पुत्र जगन प्रसाद
2—गणेश पुत्र दुर्गाप्रसाद
3—सोनिया पुत्री दुर्गाप्रसाद
4— माया देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद
5—कपूरचंद पुत्र शिवचरन
6—अशोक कुमार पुत्र शिवचरन
7—पूरनचंद पुत्र अशोक कुमार

जातियान वैश्य निवासीयन बुद्ध की हाट पुराना गंगाजी मंदिर के बगल में शहर भरतपुर

8—एस.बी.बी.जे. शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबंन्धक,
9—पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबंन्धक

.....रेस्पो0

अपील अपील खिलाफ नामांतकरण संख्या 1271 निर्णय दिनांक 22.8.2016 तहसीलदार नदबई

आदेश दिनांक 4.12.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई बाबत नामान्तकरण संख्या 1271 दिनांक 22.8.2016 ग्रांम रायसीस तहसील नदबई पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1271 दिनांक 22.8.2016 ग्रांम रायसीस तहसील नदबई रेस्पो. के नाम खोला जाकर स्वीकार किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. के अभिभाषक उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने जिस प्रकार तथा कथित निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है वह गलत है। उनका कहना है कि विवादित आराजी तरतीवी रेस्पो. बैंक पीएनबी व एसबीबीजे मे रहन दर्ज है, जमीन को रहन मुक्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। उनका कहना है जिस निर्णय डिक्री के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है उसके खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में अपील पेश की गई है। रेस्पो. गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर रहनवय मुन्तकिल करने पर उतारु है। तहसीलदार ने आदेश देने से पूर्व मौका कब्जा वगे. की कोई जांच नहीं की है। सुनवाई का कोई मोका नहीं दिया गया है। अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्व होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपील चलने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश डिक्री इजराय की पालना में यह नामान्तकरण संख्या 1271 दिनांक 22.8.2016 खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार स्वयं का आदेश नहीं है। उनका कहना है कि डिक्री इजराय के आधार पर खोला गया नामान्तकरण की अपील में डिक्री इजराय को चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है। जिसने लोन लिया था उसके हिस्से पर ही रहन रखा गया है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में तहसीलदार ने जो नामान्तकरण भरा है वह सही है जिसमें कोई गल्ती नहीं है। अपील मेनटेनेबिल नहीं होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि राजस्व मण्डल में की गई निगरानी खारिज की जा चुकी हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी.1994 पेज 486 आर.आर.डी.204 पेज 397 उद्धरित करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1271 दिनांक 22.8.2016 ग्राम रायसीस तहसील नदबई का अवलोकन किया गया। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा उद्धरित रुलिंग का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी नदबई के निर्णय डिक्री की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। जहॉ तक रहन दर्ज का प्रश्न है यह भी उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश कमांक /1335 दिनांक 17.8.16 से दिये गये मार्ग दर्शन के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश कमांक/1335 दिनांक 17.8.16 से दिये गये मार्ग दर्शन के सम्बन्ध में कोई अपील किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि नामान्तकरण संख्या 1271 दिनांक 22.8.2016 ग्रांम रायसीस तहसील नदबई, उपखण्ड अधिकरी नदबई के निर्णय डिग्री इजराय एवं मार्ग दर्शन की पालना में खोला गया है। तहसीलदार नदबई ने अपने एस. डी.ओ. के आदेश की पालना की है। इस सम्बन्ध में एल.आर.एक्ट की धारा 133(16) स्पष्ट है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रुलिंग प्रकरण पर चस्पा होती है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4.12.2017 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official